मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 2012 (चैत्र 7, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगें तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री के.पी.सिंह ''कक्काजू'', सदस्य, शिवपुरी जिले के पिछोर नगर में पुलिस द्वारा अंत्योदय समिति के ब्लॉक अध्यक्ष के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री पारस दादा, सदस्य, उज्जैन एवं इंदौर संभाग में आदिवासियों की भूमि विक्रय के संबंध में भू-राजस्व संहिता का पालन न होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, डॉ. गोविन्द सिंह, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, भिण्ड जिले के फूप थाने की पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों पर प्रकरण दर्ज किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री भैयाराम पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के तेन्दूखेड़ा में चिकित्सक की लापरवाही से युवक की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित समय

3. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन)
30 मि. विधेयक, 2012 (क्रमांक 1 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) श्री जयसिंह मरावी, राज्यमंत्री राजस्व, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों
30 मि. का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि विधेयक, 2012
30 मि. (क्रमांक 5 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू कृषि
30 मि. विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया
30 मि. कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 26 मार्च, 2012